—:प्रेस नोटः—

दिनांक 07.09.2021

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा।

नरैनी पुलिस व एसओजी टीम से हुयी मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रूपये का ईनामिया अपराधी गिरफ्तार, नाजायज पिस्टल, चोरी के जेवरात व 21 हजार रूपये बरामद।

पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपराधियों की अपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने तथा घटनाओं के अनावरण हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों सहित थाना प्रभारियों को आदेश–निर्देश निर्गत किये गये थे। आदेश–निर्देशों के अनुपालन में एसओजी टीम द्वारा विगत दिनों थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में हुयी पिस्टल चोरी की वारदात का अनावरण किये जाने व अभियुक्तों को जेल भेजे जाने के कम में सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 04.09.2021 को एसओजी से हुयी मुठभेड़ में अभियुक्त अमित सोनी उर्फ अंतिम निवासी कटरा थाना कोतवाली नगर बांदा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा उसका दूसरा साथी राशिद पुत्र रशीद उर्फ कल्लू निवासी चमरौडी थाना कोतवाली नगर बांदा मौके से फरार हो गया था। गिरफ्तार हुये अभियुक्त के कब्जे से चोरी की पिस्टल बरामद हुयी थी। कल दिनांक 06.09.2021 रात्रि के समय सूचना प्राप्त हुयी कि वांछित अपराधी राशिद थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत पिपरही रोड़ में यात्री टीन सेट के नीचे बैठा है। सूचना पर संज्ञान लेते हुए एसओजी व थाना नरैनी पुलिस संयुक्त रूप से टीम बनाकर मौके पर पहुंचे पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा भी अदम्य साहस का परिचय देते हुये अभियुक्त को सरेण्डर करने के लिए कहा गया और कहा गया कि तुम चारो तरफ से घिर गये हो इस पर अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी,, पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गयी। फायरिंग के दौरन अभियुक्त को वायं पैर में गोली लगी और वह घायल हो कर गिर गया, घायल अवस्था में गिरफ्तारी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के जेवरात, पैसा व एक अद्द देशी पिस्टल बरामद की गयी। यह अभियुक्त पेशेवर शातिर चोर है तथा इनका एक गैंग है यह गैंग के साथ मिलकर बांदा तथा आस–पास के जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। अभियुक्त के विरूद्ध 12 अभियोग संज्ञान में आये हैं तथा जनपद सहित आस–पास के जनपदों में अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

साथी राशिद पुत्र रशीद उर्फ कल्लू निवासी चमरौडी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगी का विवरणः–

01 अद्द मांग टीका, 02 अंगूठी पीली धातु, 03 जोड़ी पायल, हार पीली धातु तथा 21 हजार रूपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार तिवारी थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. उ0नि0 मयंक चन्देल एसओजी टीम जनपद बांदा।
3. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मुख्य आरक्षी महेश सिंह एसओजी जनपद बांदा।
5. आरक्षी अनुराग पाण्डेय थाना नरैनी जनपद बांदा।

6. आरक्षी अश्वनी प्रताप सिंह एसओजी जनपद बांदा।
7. आरक्षी आसुतोष राजपूत थाना नरैनी जनपद बांदा।
8. आरक्षी भानू प्रकाश एसओजी जनपद बांदा।
9. आरक्षी मनीष थाना नरैनी जनपद बांदा।
10. आरक्षी सत्यम् गूजर एसओजी जनपद बांदा।

अपराधिक इतिहासः—

1. मु0अ0सं0 42/2011 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 48/2011 धारा 40/41 भादवि ''।
3. मु0अ0सं0 62/2011 धारा 110 जी ''।
4. मु0अ0सं0 130/2011 धारा 110 जी ''।
5. मु0अ0सं0 189/2021 धारा 387/452/504/506 भादवि ''।
6. मु0अ0सं0 266/2011 धारा 280 भादवि ''।
7. मु0अ0सं0 287/2006 धारा 308/323/504 भादवि ''।
8. मु0अ0सं0 325/2009 धारा 110 जी ''।
9. मु0अ0सं0 452/2004 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि ''।
10. मु0अ0सं0 490/2012 धारा 323/452/504/506 भादवि ''।
11. मु0अ0सं0 536/2021 धारा 457/380 भादवि ''।
12. मु0अ0सं0 100/2021 धारा 307 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
13. मु0अ0सं0 382/2021 धारा 457/380 भादवि कोतवाली नगर जनपद महोबा।